



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-06102026-276831
CG-WB-E-06102026-276831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5132]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5132]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5339(अ).— जबकि, रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4510, का.आ. 4639(अ), दिनांक 10 अक्टूबर 2025 द्वारा, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) में प्रकाशित हुई है (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिसूचनाएं' कहा गया है) और जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उद्धृत) की धारा 20क के उप- धारा (1) के तहत जारी की गई है; केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचनाओं के साथ संलग्न अनुसूची में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "बांगरीपोसी- गोरुमहिसानी (85.60 कि.मी.) नई रेल लाइन" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए विनिर्दिष्ट भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20क के उप-धारा (4) के तहत, उक्त अधिसूचना संख्या 4510, का.आ. 4639(अ), दिनांक 10 अक्टूबर 2025 का सार दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् सम्बाद (ओडिया) में दिनांक 04.12.2025 और 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया'(अंग्रेज़ी) के भुवनेश्वर संस्करण में दिनांक 05.12.2025 को क्रमशः प्रकाशित किया गया था।

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाएगा;

और इसके आगे, उल्लिखित अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा घोषणा करती है कि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, इसके साथ ही संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि पूर्णतया केन्द्र सरकार की हो जाएगी जो सभी अतिक्रमणों से मुक्त होगी।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “बांगरीपोसी- गोरुमहिसानी (85.60 कि.मी.) नई रेल लाइन” के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या रहित, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।
(क) मौजा : बालितांगिरी, थाना: गोरु महिसानी, थाना सं. 41, तहसील : रायरंगपुर, ग्रामीण, जिला : मयूरभंज, ओडिशा।

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति	रैयत
1	7	464	डाही -II	0.2023	0.0486	निजी	घासीराम बैठा, अछूतानंद बैठा, पि: शिरीश बैठा; साइन्द्री बैठा, पति: शिरीश बैठा; जाति: डोम; निवासी: शुंढल
कुल					0.0486		

ख) मौजा: सानमौदा, थाना: गोरु महिसानी, थाना सं. 43, तहसील: रायरंगपुर, ग्रामीण, जिला: मयूरभंज, ओडिशा।

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति	रैयत
1	84	1160	सारद-III	0.5382	0.5382	निजी	विभूति भूषण दास पटनायक, पि: रुद्रनारायण दास पटनायक; जाति: करण; निवासी: निजगाँव
2		1161	सारद-III	0.2145	0.1335	निजी	
3	119	1177	आडी	0.0162	0.0162	निजी	राधानाथ पात्र, रेवती पात्र, पि: घासिया पात्र; कौशल्या पात्र, पति: घासिया पात्र; जाति: पात्र तंती; निवासी: निजगाँव
4		1178	जलाशय -II	0.0202	0.0202	निजी	
5		1175	डाही -II	0.1538	0.0445	निजी	
6		1170	सारद-I	0.0607	0.0607	निजी	
7		1171	सारद-II	0.1497	0.1012	निजी	
8		1176	डाही -I	0.0364	0.0364	निजी	
9		1168	रास्ता	0.0728	0.0728	निजी	
10		1169	सारद-II	0.0809	0.0809	निजी	
11		1164	डाही -II	0.0931	0.0728	निजी	
कुल					1.1774		

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन /मुख्यालय/भूमि/डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/ बीजीवाई- गुमी /एसआरपी/ओडी /20ई/2]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 28th September, 2026

S.O. 5339(E).— Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization), number 4510, S.O. 4639(E), dated 10th October 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) herein after referred to as the said notification issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(herein after referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Bangriposi-Gorumahisani (85.60Km.) new line”, in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

And, whereas, the substance of said notification number 4510, S.O. 4639(E), dated 10th October 2025 was published in the daily newspapers, namely ‘SAMBAD’ (Odiya) on 04.12.2025 and ‘Times of India’(English) Bhubaneswar Edition on 05.12.2025 respectively under section (4) of section 20A of the said Act.

And, whereas, no objection was received by the competent authority within the period prescribed under section 20D of the said Act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on this publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project “Bangriposi - Gorumahisani (85.60 Km.) new line” in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

A) Mouza :Balitangiri, Police Station:Goru Mahisani, P.S. No.41, Tahasil:Rairangpur, Rural, District: Mayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Khata No.	Plot No.	Kisam	Plot Area (in Hectare)	Area to be Acquired (in Hectare)	Status of Ownership	Rayat Name
1	7	464	Dahi-II	0.2023	0.0486	Private	Ghasiram Baitha, Achutananda Baitha, S/o Sirish Baitha; Saindri Baitha, W/o Sirish Baitha; Caste: Dom; Res: Shundhala
TOTAL					0.0486		

B) Mouza :Sanamouda, Police Station :Goru Mahisani, P.S.No.43, Tahasil:Rairangpur, Rural ,District : Mayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Khata No.	Plot No.	Kisam	Plot Area (in Hectare)	Area to be Acquired (in Hectare)	Status of Ownership	Rayat Name
1	84	1160	Sarada-III	0.5382	0.5382	Private	Bibhuti Bhushan Das Pattnaik, S/o Rudranarayan Das Pattnaik; Caste: Karan; Res:
2		1161	Sarada-III	0.2145	0.1335	Private	

							Nijgaon
3	119	1177	Aadi	0.0162	0.0162	Private	Radhanath Patra, Rebati Patra, S/o Ghasia Patra; Koushalya Patra, W/o Ghasia Patra; Caste: Patra Tanti; Res: Nijgaon.
4		1178	Jalashaya-II	0.0202	0.0202	Private	
5		1175	Dahi-II	0.1538	0.0445	Private	
6		1170	Sarada-I	0.0607	0.0607	Private	
7		1171	Sarada-II	0.1497	0.1012	Private	
8		1176	Dahi-I	0.0364	0.0364	Private	
9		1168	Rasta	0.0728	0.0728	Private	
10		1169	Sarada-II	0.0809	0.0809	Private	
11		1164	Dahi-II	0.0931	0.0728	Private	
TOTAL					1.1774		

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BGY-GUMI/SRP/OD/20E/2]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)